

(21)

संख्या- ५५० /२०१५। ६/० /६९-१-१५-५(एस०सी०पी०)/२०१५

प्रेषण

एस०पी० सिंह

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सदा में

१. निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

लखनऊ : दिनांक : २२ मई, 2015

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4040/48/10/छः/विविध/खीरी/2012-13, दिनांक 16 जनवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की न०पा०प०-पलिया की विभिन्न मतिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 13 परियोजनाओं हेतु कुल रु० 329.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष संलग्न तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित परियोजनाओं की सम्पूर्ण धनराशि रु० 329.97 लाख (रूपये तीन करोड़ उन्तीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।


क्रमशः.....2

लिंगपाल/प्रीति/गौड़ी/गौड़ी

TC  
26/5/15

5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मट/ योजना/कार्यक्रम से न तो स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मट/योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्तन आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. उक्त धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है, किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते/पीएलए में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0 लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।


16. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजनों पर सक्षम स्तर से तकनीकी रीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बरिस्तयों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-00-20-सहायता-अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्ता।

भवदीय,  
  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या- ५५० /२०१५/ ६/० (१)/६९-१-१५ तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र० लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।


आज्ञा से,  
  
 (कमल किशोर गुप्त)  
 उप सचिव।

सनात्ता संख्या- ५५० १२०१५/६/० १६९-१-२०१४-५(एस०सी०पी०)/२०१५, दिनांक २२ मई,  
२०१५ का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	वस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	(प्रतिशत लाख रु. में) स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5
1.	लखीमपुर खीरी	न०पा०प० पलिया	वार्ड नं०-०५, रंगरेजान द्वितीय, में प्रवीन कुमार राणा के मकान से राजेश के मकान तक, हनोफ के मकान से तौले बाल्मीकि के मकान तक, बाल्मीकि मंदिर से धनश्याम और राजेन्द्र के मकान तक तथा प्रदीप के मकान से सुभाष व राकेश के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.94
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०५, रंगरेजान द्वितीय में खेमकरन के मकान से मुन्ना के मकान तक, फूल मोहम्मद के मकान से सरबजील के मकान तक, नया चौक से मतीन व शमशाद के मकान तक, इकबाल के मकान से मंसूर मिस्त्री के मकान तक तथा कल्लू शिकारी के मकान से मासूम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	31.80
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-०५, रंगरेजान द्वितीय में खेमकरन के प्लाट से शमशाद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	31.30
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-०६, बरबण्डा में मोहर्म अली के मकान से बनवारी के मकान तक व रसल अहमद के मकान से नसरुद्दीन के मकान तक तथा श्याम लाल के मकान से शाहबान के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	40.50
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-०६, बरबण्डा में यादराम के मकान से श्यामल भैया के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.41
6.	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-०१, ढाकिन में रामेश्वर के मकान से राम खिलावन के मकान तक, सालिग राम के मकान से लेखराम के मकान तक, मेवालाल के मकान से जगदीश के मकान तक, बदलूराम के मकान से जवाहर लाल सड़क तक तथा राजाराम के मकान से राम गोपाल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.68
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं०-०१, ढाकिन में इंटरलाकिंग रोड से चुन्नी के मकान तक, श्याम किशोर के प्लाट से साजिद के मकान तक, इंटरलाकिंग रोड से मुमताज के मकान तक, इंटरलाकिंग रोड से बाबा के मकान तक तथा कृषि के मकान से बैरिस्टर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	41.63
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०- सिंगहिया में छोटेलाल के मकान से सुरेश के मकान तक, लाला राम के मकान से शिव कुकार के मकान तक तथा राजू के मकान से गौरी शंकर व शारदा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	24.02
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-४, रंगरेजान प्रथम में विजय के मकान से रमेश व धुरई	33.85

			के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-8, इन्दिरा नगर में जान चन्द्र के मकान से गुलशन चड्ढा व गुरुमुख सिंह के मकान तक तथा गुलशन के मकान से राम टायर वाले के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.81
11.	तदैव		वार्ड नं0-8, इन्दिरा नगर में दिलीप अरोड़ा के मकान से मटर लाल के मकान तक तथा इकबाल खारदी के मकान से शेरसिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.95
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 इंदिरा नगर में जसपाल सिंह गहनिया के मकान से अशोक मौर्या के मकान तक, कुलदीप सिंह के मकान से तारसेम सिंह के मकान तक, जगदीश के मकान से काले के मकान तक तथा राजा राम के मकान से रोशन व कामना के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.98
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-08 इन्दिरा नगर में पी0डी0 गुप्ता के प्लाट से मुमताज के मकान तक, इरफान के मकान से इंद्रप्राल के मकान तक, अलीजान के मकान से इश्तियाक के मकान तक तथा पी0डी0 गुप्ता के प्लाट से रहीश अहमद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.10
	योग			329.97

(रुपये तीन करोड़ उनतीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)।

  
 (कमल किशोर गुप्ता)  
 उप सचिव।